



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-05/2022

सरकार

बनाम्

रंजीत कुमार

—: आदेश :—

28/09/22
राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 227/अप0शा0 दिनांक 04.02.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। मामला नेतरहाट थाना काण्ड संख्या-22/2021 दिनांक-26.10.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार ने धारा-279/304(ए)/379/414 भा0द0वि0, धारा-21 एम0एम0डी0आर0, धारा-54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH19C-0343 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त वाहन के विरुद्ध इसके पूर्व किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं है तथा खान एवं खनिज अधिनियम एवं झारखण्ड लघु खनिज समुदान नियमावली से संबंधित किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। नेतरहाट थाना द्वारा ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH19C-0343 के विरुद्ध अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसके आलोक में वाहन स्वामी द्वारा माननीय प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के न्यायालय में अग्रीम

9/

जमानत याचिका संख्या- 350/2021 दायर की गयी। उक्त याचिका में सुनवाई के पश्चात् दिनांक 02.12.2021 को जमानत दी गयी। माननीय प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा दिये गये जमानत के पश्चात् वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 04.03.2022 को माननीय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के अदालत में अपने वाहन पंजीयन संख्या- JH19C0343 की मुक्ति हेतु आवेदन MCA 252/2021 दाखिल किया गया। वाहन स्वामी द्वारा दाखिल MCA 252/2021 के आलोक में नेतरहाट थाना द्वारा दिनांक 14.03.2022 को माननीय न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल किया गया तथा दिनांक-15.03.2022 को अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार द्वारा वाहन का मुक्ति आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में इण्डीमिनीटी बॉण्ड दाखिल कर ट्रैक्टर रजि० संख्या- JH19C-0343 को मुक्त करा लिए हैं। फलतः ट्रैक्टर रजि० संख्या- JH19C-0343 का राजसात की कार्रवाई न्यायहीन में चलने योग्य नहीं है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा वाहन को राजसात करने हेतु दाखिल प्रस्ताव को न्यायहित में खारिज किया जाय।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि दिनांक 26.10.2021 को गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से बालू परिवहन करने के आरोप में ट्रैक्टर रजि० संख्या- JH19C-0343 को को जप्त किया गया था, जो "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियमों का उल्लंघन है। वाहन मालिक द्वारा बिना वैध ई-परिवहन चालान के बालू का अवैध रूप से परिवहन कार्य झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित 2019 के नियम 54 एवं "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13 के तहत दण्डनिय अपराध है। फलस्वरूप अवैध रूप से बालू का परिवहन कार्य में संलिप्त ट्रैक्टर रजि० संख्या-JH19C-0343 को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जप्त वाहन खुले स्थान में पड़ा रहने के कारण खराब होने की संभावना है।

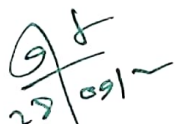
विपक्षी का स्वरोजगार का श्रोत जप्त वाहन है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

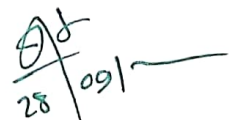
अतः जप्त ट्रैक्टर रजि० संख्या-JM19C-0343 को निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रू० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :-

1. उक्त वाहन की प्रकृति व पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


28/09/1~
उपायुक्त,
लातेहार।


28/09/1~
उपायुक्त,
लातेहार।